Shiv Vani Model Sr. Sec. School
ESTD. 1981
An ISO 9001 : 2008 Certified School
MAHAVIR ENCLAVE, PALAM ROAD (DWARKA), NEW DELHI – 110045
PH. 45600323/324/325

Our Partner in Education : TATA class edge
better teachers make better students

TATA AIG General Insurance Company Ltd.

Educational expenses Insurance in case of Accidental Death of bread winner parent

Dear Parent, Dated: May 8, 2016

As you are aware that almost all our students are insured for 24x7, 365 days worldwide accidental injuries treatment for Rs.20,000 with annual premium of Rs.150 only.

Further to this it is observed that every year the school receives at least 2 to 5 applications from helpless mothers informing about death of child(ren)'s father in an accident/illness etc. The father was the only bread winner in the family and now there is no source of income. In such situation, the mother is left with no option but to request for fee concession or fee waiver as she is a housewife and has no money for her child(ren)'s education and that the sudden and untimely demise of her husband has disturbed the household financial situation.

As life is uncertain and to protect the interest of children's education in such a situation the school in association with TATA AIG General Insurance Company Ltd. has decided to cover this risk as well. As per this insurance policy, in case of sudden, untimely and unfortunate death of either of the bread winner parent in an accident (not due to any illness), the insurance will pay Rs. One lakh per child to the school for child(ren)'s school education. Any unspent balance left out of Rs one lakh will be given to the student after passing class 12.

For example

Situation 1: A father of a Class 2 student dies in an accident, the insurance will pay Rs.One lakh to the school for continuation of the child's education. Suppose the yearly school fee is Rs.35,000. So this Rs.One lakh will be used for that child's education for next three years and the parent will have to pay after three years i.e. after the child passes class 5.

Situation 2: A father of class 11 student dies in an accident. The insurance will pay Rs.One lakh for continuation of the child's education. Suppose the yearly school fee is Rs. 50,000. So the school will use Rs.50,000 as fees for class 12. The balance of Rs.50,000 will be given to the student when the student passes class 12.

This one lakh per child will cover school fee expenses only. Books and Uniforms will not be covered.

The annual premium for Rs.100,000 educational expenses in case of accidental death of bread winner parent is Rs.100 only. The insurance coverage will be effective from May 10, 2016. All students will be covered for free for this session (2016-17).

The school will charge Rs.250 as annual premium [(Rs.150 for 24x7 worldwide accidental injuries treatment for Rs.20,000) + (Rs.100 for Rs 100,000 for education in case of unfortunate accidental death of bread winner parent)] from next session and will be billed in fee bill for first quarter in the session 2017-18 (April 2017).

We highly recommend parents to opt for these insurance options as the annual premium (one time in a year) is ONLY Rs.250. The sole objective is to help parent during financial crisis caused due to accidental injuries to the children or sudden, untimely and unfortunate accidental death of a bread winner parent and for the welfare of children studying in our school. The school is not making any profit. However, still if parents do not want to pay the annual premium of Rs.250 (once in a year), they can ask the fee cashier to remove the child's name from the coverage.

In the previous session about 18 students and teachers claimed insurance for accidental injuries ranging from Rs.20,000/- to Rs.800/-

For any further clarification on insurance details, please contact Mr. Rajesh Berwa in school office.

Principal

P.T.O. for Hindi Version

TATA AIG General Insurance Company Ltd. (टाटा एज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड)
परिवार के एकमात्र अर्जक (कमाने वाले) अभिभावक की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में शैक्षणिक व्यय हेतु रू एक लाख का बीमा

प्रिय अभिभावक,

जैसा कि आपको विदित है कि हमारे विद्यालय के अधिकांश छात्रों का रू. 20,000 का बीमा सिर्फ रू. 150के वार्षिक प्रीमियम पर 24 घंटे 7 दिन, पूरे वर्ष में विश्व में कहीं भी दुर्घटना से लगने वाली चोटों के इलाज के लिए किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय को कम से कम 2 से 5 प्रार्थना–पत्र छात्रों की असहाय माताओं की ओर से बच्चों के पिता की दुर्घटना या बीमारी आदि से होने वाली मृत्यु की सूचना देने के बारे में प्राप्त होते हैं कि उन बच्चों का पिता ही परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे और अब परिवार की आय का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में माता के पास अपने बच्चे (या बच्चों) की शिक्षा के लिए फीस माफी या फीस में छूट का निवेदन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि वह एक गृहणी है और उसके पास अपने बच्चे (या बच्चों) की शिक्षा के लिए धन नहीं है क्योंकि उनके पति की आकस्मिक मृत्यु ने परिवार की आर्थिक स्थिति को कुप्रभावित किया है।

चूंकि जीवन अनिश्चित है और ऐसी स्थित में बच्चों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा हेतु विद्यालय ने (TATA AIG General Insurance Company Ltd.) के सहयोग से इस असुरक्षा से सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इस बीमा पॉलिसी के अनुसार, अचानक असहाय और दुर्भाग्यवश परिवार के अर्जक अभिभावक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर (बीमारी के कारण मृत्यु होने की स्थिति में नहीं) बीमा कंपनी उसके प्रत्येक बच्चे की शिक्षा जारी रखने हेतु विद्यालय को एक लाख रूपए देगी। इन एक लाख रूपयों में से बचे हुए रूपए छात्र (छात्रों) को 12वीं कक्षा पास करने के बाद दे दिए जायेंगे।
उदाहरण के लिए:
स्थिति 1 : यदि कक्षा 2 के एक छात्र को पिता की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटनावश हो जाती है तो बीमा कम्पनी उस छात्र की शिक्षा हेतु विद्यालय को 1 लाख रूपये का प्रतिदान देगी। माना की स्कूल की वार्षिक फीस रू. 35000 है। इस प्रकार एक लाख रूपये उस बच्चे की शिक्षा में अगले तीन वर्षों में व्यय हो जायेंगे और अब अभिभावक को तीन वर्ष बाद अर्थात छात्र के पांचवी कक्षा पास होने के बाद ही फीस देनी पड़ेगी।

स्थिति 2 : यदि कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र के पिता की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, तो बीमा कम्पनी एक लाख रूपये छात्र की पढ़ाई जारी रखने के लिए देगी। माना कि विद्यालय की वार्षिक फीस रू.50000/– है। विद्यालय कक्षा 12वीं की फीस के रूप में रू. 50,000 व्यय करेगा और बाकी बचे रू.50,000 छात्र को 12वीं कक्षा पास करने के बाद लौटा दिए जायेंगे।
ये एक लाख रूपये प्रत्येक बच्चे की केवल स्कूल फीस का खर्च वहन करने के लिए ही होंगे। इससे पुस्तकों और यूनिफार्म का व्यय शामिल नहीं होगा।

अर्जक अभिभावक की दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में मिलने वाले एक लाख रूपये के (शैक्षणिक व्यय हेतु) प्रतिदान का वार्षिक प्रीमियम सिर्फ रू. 100/– है। यह बीमा सुरक्षा 10 मई 2016 से प्रभावी होगी। सभी छात्रों को इस सत्र (2016–17) में यह बीमा सुविधा निःशुल्क दी जाएगी।

विद्यालय आगामी सत्र से रू. 250/– वार्षिक प्रीमियम के रूप में लेगा, जिसमें से रू.150/– छात्रों को 24 घंटे 365 दिन, पूरे वर्ष में विश्व में कहीं भी दुर्घटना से लगने वाली चोटों के इलाज के लिए रू 20,000 की सहायता राशि देने हेतु और रू 100 अर्जक अभिभावक की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में रू0 1,00,000 की सहायता राशि छात्र की शिक्षा के लिए होंगे। यह 250/– का वार्षिक प्रीमियम सत्र 2017–18 के प्रथम सत्र के फीस बिल में (अप्रैल 2017) लिया जाएगा।

हम सभी अभिभावकों को सलाह देते हैं कि वे इन दोनों बीमा विकल्पों को अवश्य चुनें क्योंकि इनका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ रू0 250/– है (वर्ष में सिर्फ एक बार देय)। हमारा एकमात्र ध्येय दुर्घटना के कारण छात्र को चोट लगने या दुर्घटनावश अर्जक अभिभावक की मृत्यु होने के कारण परिवार को होने वाली आर्थिक तंगी की स्थिति में मदद करना है और अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र की भलाई देखना है। विद्यालय को इसे कोई लाभ नहीं कमाना है। फिर भी यदि कोई अभिभावक रू.250/– का वार्षिक प्रीमियम (साल में एक बार देय) देने के इच्छुक नहीं है, वे फीस–कैशियर से इस बीमा–सुरक्षा पॉलिसी से अपने बच्चे का नाम हटाने के लिए कह सकते हैं।

पिछले साल लगभग 18 छात्रों और अध्यापकों ने दुर्घटना से लगने वाली चोटों के इलाज के लिए रू.800/– से रू. 20000/– तक की बीमा राशि प्राप्त की है।

बीमा पॉलिसी के बारे में अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कृपया विद्यालय ऑफिस में श्री राजेश बैरवा से सम्पर्क करें।

प्रधानाचार्य